उत्तर प्रदेश शासन

चीनी उद्योग अनुभाग-3

संख्या:7/2021/1545/46-3-21-3(48)/98-99

लखनऊ: दिनांक 24 दिसम्बर, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

गन्ना किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य (एस.ए.पी.) घोषित किया जाता है। प्रत्येक गन्ना पेराई सत्र जो माह अक्टूबर से प्रारम्भ होकर आगामी वर्ष के माह जुलाई तक होता है, के लिये शासन स्तर से गन्ना आयुक्त, उ.प्र. की अध्यक्षता में "**उप समिति**" का गठन किया जाता है, जो संबंधित पेराई सत्र के लिये ही क्रियाशील रहती है। अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त, आगामी गन्ना पेराई सत्र 2022-23 एवं पश्चातवर्ती समस्त पेराई सत्रों के लिए राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य निर्धारण हेतु समस्त सुसंगत पहलुओं पर विचार कर संस्तुतियां उपलब्ध कराने के लिए राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य निर्धारण हेतु मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित "**राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य निर्धारण संस्तुति समिति**" को विभागीय बिन्दुओं पर सूचना/आंकड़े एवं अन्य सुसंगत अभिलेख उपलब्ध कराने व सहयोग करने हेतु स्थायी रूप से गन्ना आयुक्त, उ.प्र. की अध्यक्षता में '**उप समिति**' का गठन किया जाता है, जो आगामी पेराई सत्र 2022-23 एवं पश्चातवर्ती समस्त पेराई सत्रों के लिये क्रियाशील रहेगी। उक्त "**उप समिति**" की सदस्य संरचना निम्नवत होगी:-

1	**आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उ.प्र. लखनऊ**	**अध्यक्ष**
2	निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	सदस्य
3	निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर	सदस्य
4	निदेशक, कृषि सांख्यिकी उ.प्र.	सदस्य
5	गन्ना आयुक्त, उ.प्र. के स्तर से नामित अपर गन्ना आयुक्त	सदस्य
6	गन्ना आयुक्त, उ.प के स्तर से नामित उप गन्ना आयुक्त	सदस्य
7	उत्कृष्ट कार्य योजना के अन्तर्गत द्वितीय स्थान पाने वाली सहकारी गन्ना विकास समिति के अध्यक्ष	सदस्य
8	गन्ना विकास विभाग में संचालित गन्ना उत्पादन प्रतियोगिताओं में द्वितीय स्थान पाने वाले प्रगतिशील गन्ना कृषकगण	सदस्य
9	संयुक्त गन्ना आयुक्त (क्रय)	सदस्य सचिव

2. उपरोक्तानुसार स्थायी रूप से गठित की गयी "**उप समिति**" की प्रतिवर्ष माह

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अगस्त के अन्तिम समाह से माह सितम्बर के प्रथम सप्ताह के मध्य बैठक आहूत की जायेगी। उक्त उप समिति द्वारा बैठक सम्पन्न कराकर राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य निर्धारण हेतु सुसंगत सूचना एवं विवरणों सहित अपनी संस्तुति मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में स्थायी रूप से गठित **"राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य निर्धारण संस्तुति समिति"** को यथाशीघ्र उपलब्ध करायेगी।

संजय आर. भूसरेड्डी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:7/2021/1545(1)/46-3-2021तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन को मुख्य सचिव के अवगतार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
4. निजी सचिव, मा. मंत्री, गन्ना विकास एवं चीनी मिलें, उ.प्र.।
5. निजी सचिव, मा. राज्य मंत्री, गन्ना विकास एवं चीनी मिलें, उ.प्र.।
6. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उ.प्र. शासन को अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव के सूचनार्थ।
7. समिति के समस्त सदस्यगण।
8. चीनी उद्योग अनुभाग-1/2, उ.प्र. शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सुनील कुमार श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in